रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD./No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478 A] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 1992/श्रावण 25, 1914
No. 478 A] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 1992/SARAVANA 25, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का०आ० 547ए(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री बी०आर० कार्तिकेयन, अधिवक्ता, अन्ना नगर, मद्रास ने 22 जून, 1992 को एक ज्ञापन फाइल किया है जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि राज्य सभा की आसीन सदस्य श्रीमती जयंती नटराजन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत, 29 जून, 1992 को समाप्त होने वाली अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान, निरर्हता से ग्रस्त हो गई क्योंकि उन्होंने 5 मई, 1992 से मद्रास में केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउंसेल के रूप में भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किया था। इसके अतिरिक्त यह अभिकथन किया गया है कि श्रीमती नटराजन, जून, 1992 में अपने पुनर्निर्वाचन पर उस सभा की सदस्य बनने से भी निरर्हित हो गई जिसके लिए उन्होंने 15-6-1992 को नामनिर्देशन फाइल किया था।

और भारत के राष्ट्रपति ने उक्त ज्ञापन के प्रतिनिर्देश से संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या श्रीमती नटराजन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) में उल्लिखित निरर्हता से ग्रस्त हो गई है ;

और निर्वाचन आयोग की राय है कि (उपाबंध देखिए) 18-6-1992 को पुनर्निर्वाचन के बाद तारीख 30-6-1992 से आगे राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए श्रीमती नटराजन की अभिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता के संबंध

में श्री वी०आर० कार्तिकेयन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की अधिकारिता का अवलंब नहीं लिया जा सकता है;

निर्वाचन आयोग की यह राय है कि तारीख 5-5-1992 से 29-6-1992 की अवधि के दौरान श्रीमती नटराजन की निरर्हता से संबंधित प्रश्न, तारीख 29-6-1992 को उनकी पूर्वतर पदावधि की समाप्ति पर राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्रीमती नटराजन के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अब निरर्थक हो गया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए तारीख 5-5-1992 से 29-6-1992 की उक्त अवधि के लिए श्रीमती नटराजन की अधिकथित निरर्हता के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है,

अतः अब मैं आर० वेंकटरमन, भारत का राष्ट्रपति, श्री वी०आर० कार्तिकेयन के पूर्वोक्त ज्ञापन को खारिज करता हूं।

ह०/-
(आर० वेंकटरमन)
भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 1992 का निदेश मामला सं० 1

(भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्देश)

श्रीमती जयन्ती नटराजन, राज्य सभा की आसीन सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में

राय

1. यह भारत के राष्ट्रपति से एक निर्देश है जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, जो राज्य सभा की आसीन सदस्य हैं, उस सभा की सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गई या निरर्हता से ग्रस्त हो गई है। उक्त निर्देश राष्ट्रपति के सचिवालय से आयोग के सचिवालय को 30-6-1992 को प्राप्त हुआ।

2. उक्त प्रश्न श्री वी० आर० कार्तिकेयन, अधिवक्ता, अल्लानगर, मद्रास की राष्ट्रपति को तारीख 22-6-1992 की अर्जी से उद्भूत हुआ है जिसका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अनुसार होना तात्पर्यित है। उक्त अर्जी में अर्जीदार ने प्रकथन किया है कि श्रीमती नटराजन को जो 1986 में तमिलनाडु राज्य से राज्य सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं और जिनकी पदावधि 29-6-1992 को समाप्त होने वाली थी, राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की तारीख 5-5-1992 की अधिसूचना द्वारा मद्रास में केन्द्रीय सरकार का अपर स्थायी काउन्सेल तब नियुक्त किया गया जब कि वह राज्य सभा की आसीन सदस्य थीं। अर्जीदार द्वारा यह भी प्रकथन किया गया है कि श्रीमती नटराजन ने राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु 15-6-1992 को नामनिर्देशन पत्र फाइल किया (जिसके लिए राष्ट्रपति ने 8-6-1992 को उन छह रिक्त स्थानों को भरने के लिए आहूत किया था जो श्रीमती नटराजन सहित छह सदस्यों की उनकी पदावधि की समाप्ति पर 30-6-1992 को रिक्त होने वाले थे। पूर्वोक्त रूप में अपना नामनिर्देशन फाइल करने के पश्चात्, श्रीमती नटराजन ने उसी तारीख को केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउंसेल के पद से अपना त्यागपत्र भेजा जिसे उन्होंने उसी तारीख को अर्थात् 15-6-1992 को स्वीकार किया। अर्जीदार का तर्क है कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार किया जाना सुसंगत नियमों के अधीन विधिमान्य नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर अर्जीदार का तर्क है कि श्रीमती नटराजन संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गई क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के अधीन 5-5-1992 से केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउंसेल के रूप में लाभ का पद धारण किया था। इस प्रकार उनका अभिकथन है कि श्रीमती नटराजन 5-5-1992 से 29-6-1992 तक जब वे जून, 1986 में अपने पूर्वतर निर्वाचन के आधार पर राज्य सभा की आसीन सदस्य थीं, निरर्हित हो गई थीं और जून, 1992 में पुनर्निर्वाचित होने पर, जिसके लिए 15-6-1992 को उन्होंने अपना नामांकन पत्र फाइल किया था, उक्त सभा की सदस्यता से पुनः निरर्हित हो गई।

3. अर्जीदार द्वारा ऊपर उल्लिखित जो द्विआयामी प्रश्न उठाया गया है उस पर विचार के लिए संबद्ध तथ्य ये हैं कि जून 1986 में तमिलनाडु राज्य से हुए द्विवार्षिक निर्वाचन में पांच अन्यों के साथ श्रीमती नटराजन राज्य सभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 155 के साथ पठित धारा 154 के अधीन उक्त पांच अन्य सदस्यों के साथ-साथ उनकी छह वर्ष की पदावधि 30-6-1986 को प्रारंभ हुई। उनकी पदावधि 29-6-1992 को समाप्त होनी थी और 30-6-1992 को, उनके सेवानिवृत्ति के कारण, रिक्त हुए पद भरे जाने थे, राष्ट्रपति ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 12 के अधीन, 8-6-1992 को तमिलनाडु राज्य से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन आहूत किया। श्रीमती नटराजन, ने, 15-6-1992 को अपना नामनिर्देशन पत्र भरके, यह द्विवार्षिक निर्वाचन पुनः लड़ा और 18-6-1992 को पांच अन्यों के साथ निर्वाचित घोषित की गई। श्रीमती नटराजन सहित इन छह सदस्यों की, पदावधि जो 18-6-1992 को निर्वाचित हुए थे, 30-6-1992 को प्रारंभ हुई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की पूर्वोक्त धारा 154 और धारा 155 के उपबंधों के अधीन सामान्यतः 29-6-1992 तक चलता रहेगा। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि श्रीमती नटराजन

30-6-1986 से राज्य सभा की आसीन सदस्य हैं, उनकी पूर्वतर पदावधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और वे 30-6-1992 से आगे जून, 1992 में हुए द्विवार्षिक निर्वाचनों के आधार पर 18-6-1992 को पुनर्निर्वाचित होने के कारण राज्य सभा की एक सदस्य हैं। राज्य सभा की सदस्य के रूप में उनके दोनों कार्यकाल, पहला, जून 1986 में उनके निर्वाचित होने के आधार पर और दूसरा, जून, 1992 में उनके पुनर्निर्वाचित होने आधार पर, एक दूसरे से भिन्न दो पृथक-पृथक कार्यकाल है। इस प्रकार वे, 18 6-1992 को उनके पुनर्निर्वाचित होने के आधार पर इस समय राज्य सभा की एक आसीन सदस्य हैं।

4. जहां तक इस समय राज्य सभा की सदस्य बने रहने के संबंध में श्रीमती नटराजन की अभिकथित निरर्हता का संबंध है, अर्जीदार का तारीख 22-6-1992 की उनकी अर्जी में मामला यह है कि श्रीमती नटराजन संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन, जून, 1992 में हुए राज्य सभा का निर्वाचन लड़ने से निरर्हित हो गई थीं क्योंकि उन्होंने 5-5-1992 से केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउंसेल का पद धारित किया था। अतः, जहां तक जून, 1992 में हुए द्विवार्षिक निर्वाचन : समय राज्य सभा के लिए उनके निर्वाचन का संबंध है, जिसके आधार पर वह अब उस सभा की आसीन सदस्य हैं, यदि ऐसा है तो अर्जीदार के अपने प्रकथन से यह प्रकट होता है कि यह निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है। दूसरे शब्दों में, यह ऐसी निरर्हत का मामला नहीं है जो वह उपगत की या जून, 1992 में हुए उक्त निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता से ग्रस्त हुई।

5. यह बात पूर्ण रूप से तय है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को अधिकारिता निरर्हता के केवल ऐसे मामलों का विनिश्चय करने की है, जिसका संसद का कोई आसीन सदस्य उसके निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता ग्रस्त हो जाता है। अतः संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के मामले की जांच करने की आयोग की अधिकारिता केवल निर्वाचन-पश्चात् हुई निरर्हता के मामलों में ही उत्पन्न होती है। निर्वाचन-पूर्व निरर्हता अर्थात् ऐसी निरर्हता जिससे कोई व्यक्ति निर्वाचन के समय या उसके निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था/थी उससे संबंधित कोई भी प्रश्न, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों के अनुसार संबोधित राज्य की उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एक निर्वाचन अर्जी द्वारा उठाया जा सकता है और किसी अन्य रीति से नहीं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकट राव (1953 एस०सी आर० 1144), वृन्दावन नाईक बनाम निर्वाचन आयोग (ए० आई०आर० 1965 एस०सी० 1892), निर्वाचन आयोग बनाम एन०जी० रंगा (ए.आई.आर० 1978 एस०सी० 1609), आदि में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

6. विधि की उपर्युक्त तय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह राय है कि श्रीमती नटराजन की, 18-6-1992 को उनके पुनर्निर्वाचन के पश्चात् 30-6-1992 के आगे, अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के संबंध में श्री बी०आर० कीर्तिकेयन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को अधिकारिता का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

7. राष्ट्रपति और कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा आयोग को निर्देश के रूप में भेजे गए कई मामलों में, जिनमें प्रश्न निर्वाचन-पूर्व निरर्हता से संबंधित निर्देश थे, आयोग द्वारा इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। उदाहरणार्थ, 1991 के निर्देश मामला सं० 1 में जो संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश था, जो प्रश्न उठाया गया था वह यह था कि क्या श्री पंकज चौधरी जिन्हें मई-जून, 1991 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विद्यमान लोक सभा के लिए निर्वाचित किया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ध) के अधीन निर्वाचन लड़ने से निरर्हित थे क्योंकि यह अभिकथित रूप से भारत के नागरिक नहीं थे बल्कि नेपाल के नागरिक थे। आयोग ने तारीख 5-9-1991 को अपनी यह राय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी कि उपरोक्त प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता क्योंकि यह निर्वाचन-पूर्व निरर्हता से संबंधित था।

8. अर्जीकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि श्रीमती नटराजन तारीख 5 5-1992 से 19-6-1992 तक राज्य सभा की सदस्य होने से निरर्हित थीं क्योंकि वह तारीख 5-5-1992 से केन्द्रीय सरकार की अपर स्थायी काउंसेल नियुक्त की गई।

9. यह प्रश्न 29-6-1992 के पश्चात् निरर्थक हो गया जब श्रीमती नटराजन उस तारीख को अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद राज्य सभा की सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हो गई। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है विद्यमान निर्देश आयोग के सचिवालय में 30 जून, 1992 को प्राप्त हुआ जब तक श्रीमती नटराजन 29-6-92 को सेवानिवृत्त हो चुकी थीं और इस कारण वर्तमान निर्देश निरर्थक हो गया। पहले भी आयोग को राज्य विधान मंडल के कुछ सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर कुछ ऐसे निर्देश, राय के लिए प्राप्त हुए थे जिनमें संबंधित सदन जिसका वह सदस्य था, आयोग निर्देश करने के पूर्व ही विघटित हो गया था या निर्देश करने के पश्चात् हो गया। ऐसे मामलों में आयोग का विचार था कि संबंधित सदन के विघटन के साथ ही निर्देश व्यर्थ और निरर्थक हो गया। (इस संबंध में रामजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के 12 अन्य सदस्य (51 ई एल आर 354); के मामले में तारीख 17-6-1971 की आयोग की राय : श्री लजिन्दर सिंह बेदी

और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्य (51 ई एल आर 361) के मामले में तारीख 10-1-1972 की राय: श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्य के मामले में तारीख 2-7-1980 की राय : श्री महादेव क्षत्रीय पाटिल, सदस्य महाराष्ट्र विधान सभा आदि के मामले में तारीख 27-10-1990 की राय देखें।)

10. विद्यमान मामले में संबंधित सदन अर्थात्, राज्य सभा, जो विघटित नहीं की जा सकती, बना रहता है, किन्तु यथा शक्य निकटतम एक तिहाई सदस्य, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। अपनी पदावधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सभा के सदस्य की स्थिति विघटित होने वाली लोक सभा या राज्य विधान सभा के सदस्य के समान ही होती है जहां तक उसके सदस्य न रह जाने के बाद उसके निरर्हता के प्रश्न का संबंध है।

11. इसको ध्यान में रखते हुए इस मामले में तारीख 5-5-1992 से 29-6-1992 की अवधि के लिए श्रीमती नटराजन की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह तारीख 29-6-1992 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गई।

12. राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश उपरोक्त आशय की मेरी राय के साथ वापस भेजा जा रहा है।

टी०एन० शेषण,
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ता० 12 जुलाई, 1992

[फा०सं० 7(33)/92-वि० II]

बी०एम० सलूजा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1992

S.O. 547A(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a memorandum dated 22nd June, 1992, has been filed by Shri V. R. KARTHIKEYAN, Advocate, Anna Nagar, Madras, alleging that Smt. Jayanthi Natarajan, a sitting member of the Council of States, incurred disqualification within the meaning of article 102(1)(a) of the Constitution of India during her term of membership ending on 29th June, 1992 as she held an office of profit under the Government of India as the Additional Central Government Standing Counsel at Madras with effect from 5th May, 1992. Further, it has been alleged that Smt. Natarajan was again disqualified for membership of that Council on her re-election in June, 1992 for which she filed her nomination paper on 15-6-1992;

And whereas the President of India had sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said memorandum on the question whether Smt. Jayanthi Natarajan has become subject to disqualification mentioned in article 102(1)(a) of the Consitution of India;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that the jurisdiction of the President of India under article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri V. R. Karthikeyan in relation to the alleged pre-election disqualification of Smt. Natarajan for being a member of the Council of States from 30-6-1992 onwards after her re-election on 18-6-1992 ;

And whereas the Election Commission is also of the opinion that the question relating to disqualification of Smt. Natarajan during the period from 5-5-1992 to 29-6-1992 does not survive for consideration after Smt. Natrajan retired as a Member of the Council of States on the expiration of her earlier term of office on 29-6-1992 and that in this view of the matter it is not necessary to go into the question of the alleged disqualification of Smt. Natarajan for the said period from 5-5-1992 to 29-6-1992;

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, do hereby dismiss the aforesaid memorandum of Shri V. R. Karthikeyan.

Sd/-

(R. VENKATARAMAN)
President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

REFERENCE CASE NO. 1 OF 1992

(Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India).

In re : Alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, sitting member of the Council of States.

OPINION

1. This is a reference from the President of India seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India on the question whether Smt. Jayanthi Natarajan, a sitting member of the Council of States, became or has become subject to disqualification for being member of that Council. The said reference has been received in the Commission's Secretariat from the President's Secretariat on 30-6-1992.

2. The above question has arisen on a petition dated 22-6-1992 of Shri V. R. Karthikeyan, Advocate,

Anna Nagar, Madras to the President of India purporting to be in terms of Article 103(1) of the Constitution. In the said petition, the petitioner has averred that Smt. Natarajan, who was elected as a member of the Council of States from the State of Tamil Nadu in 1986 and whose term of office was to expire on 29-6-1992, was appointed as the Additional Central Government Standing Counsel at Madras by the President vide Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs Notification dated 5-5-1992, while she was a sitting member of the Council of States. It is further averred by the petitioner that Smt. Natarajan filed her nomination paper on 15-6-1992 for the biennial election to the Council of States (which was called by the President on 8-6-1992 for filling the six vacancies which were to arise on the retirement of six members, including Smt. Natarajan, on 30-6-1992 on the expiration of their term of office). After filing her nomination paper on 15-6-1992 as aforesaid, Smt. Natarajan is stated to have sent on the same date her resignation from the office of the Additional Central Government Counsel to the Union Minister of Law, Justice and Company Affairs, who accepted it on the same date, i.e., 15-6-1992. The petitioner contends that the acceptance of her resignation by the Minister of Law, Justice and Company Affairs was not valid under the relevant rules. On these facts, the petitioner contends that Smt. Natarajan incurred disqualification within the meaning of Article 102(1)(a) of the Constitution, as she held an office of Profit under the Government of India as the Additional Central Government Standing Counsel, with effect from 5-5-1992. He thus alleges that Smt Natarajan was disqualified from 5-5-1992 to 29-6-1992 when she was sitting member of the Council of States on the basis of her earlier election in 1986, and is again disqualified for membership of that Council on her re-election in June, 1992 for which she filed her nomination paper on 15-6-1992.

3. The facts germane to the consideration of the abovementioned two-fold question raised by the petitioner are that Smt. Natarajan, alongwith five others, was elected as member of the Council of States at the biennial election held from the State of Tamil Nadu in June, 1986. Her six year term of office, as also of the said five other members, commenced on 30-6-1986 under section 154 read with section 155 of the Representation of the People Act, 1951. Their term of office was to expire on 29-6-1992 and to fill the vacancies so arising on 30-6-1992 on their retirement, the President called the biennial election to the Council of States from the State of Tamil Nadu on 8-6-1992 under section 12 of the Representation of the People Act, 1951. Smt. Natarajan again contested this biennial election by filing her nomination paper on 15-6-1992 and was declared elected on 18-6-1992 alongwith five ohers. The term of office of these six members, including Smt. Natarajan, who were elected on 18-6-1992 has commenced on 30-6-1992, and will normally continue upto 29-6-1998 under the provisions of the aforesaid sections 154 and 155 of the Representation of the People Act, 1951. It is significant to note that though Smt. Natarajan has been a sitting member of the Council of States since 30-6-1986, her earlier term of office expired on 29-6-1992 and from 30-6-1992 onwards she is a member of the Council of States by virtue of her re-election on 18-6-1992 at the biennial election held in June, 1992. Her two stints as the member of the Council of States, one on the basis of her election in June, 1986 and the second on the basis of her re-election in June, 1992, are two separate stints, distinct from each other. She is thus a sitting member of the Council of States at present by virtue of her re-election on 18-6-1992.

4. In so far as the question of alleged disqualification of Smt. Natarajan for being a member on the Council of States at present is concerned, the petitioner's own case in his petition dated 22-6-1992 is that Smt. Natarapan was disqualified under Article 102(1)(a) of the Constitution to contes the election to the Council of States held in June, 1992 because she held the post of Additional Central Government Standing Counsel w.e.f. 5-5-1992. It is thus apparent on the petitioner's own averments that it is a case of pre-election disqualification, if at all, in so far as her election to the Council of States at the biennial election in June, 1992 on the basis of which she is a sitting member of that Council now, is concerned. In other words, it is not a case of a disqualification which she incurred or to which she has become subject after her said election in June, 1992.

5. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution, the President has the jurisdiction to decide only such questions of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes subject after his/her election. The jurisdiction of the Commission to enquire into the questions of alleged disqualification referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution thus also arises only in the cases of post-election disqualification. Any question relating to pre-election disqualification, i.e., disqualification from which a person was suffering at the time of election or prior to his/her election, can be raised only by means of an election petition presented before the High Court of the State concerned in accordance with the provisions of Article 329(b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference in this connection is invited to the Supreme Court's decisions in Election Commission vs. Saka Venkata Rao (1953 SCR 1144), Brundaban Naik vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892), Election Commission vs. N. G. Ranga (AIR 1978 SC 1609), etc.

6. Having regard to the above settled position of law, I am of the opinion that the jurisdiction of the President under Article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri V.R. Karthikeyan in relation to the alleged pre-election disqualification of Smt. Natarajan for being a membr of the Council of States from 30-6-1992 onwards after her re-election on 18-6-1992.

7. A similiar view has been expressed by the Commission in several cases referred to it by the president and Government of certain States wherein the question raised in the reference related to pre-election disqualification. For example, in Reference Case No. 1 of 1991 which was a reference received from the President under Article 103(2) of the Constitution, the question raised was whether Shri Pankaj Chaudhary, who was elected to the existing House of the People from the Maharajgani Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh at the General Election to the Lok Sabha held in May-June, 1991,

was disqualified to contest the election under Article 102(1)(d) of the Constitution of India as he was allegedly not a citizen of India and was a citizen of Nepal. The Commision tendered its opinion to the President on 5-9-1991 that the above question could not be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution as it related to pre-election disqualification.

8. The petitioner has also alleged that Smt. Natarajan was disqualified for being a member of the Council of States from 5-5-1992 to 29-6-1992 because of her appointment as the Additional Central Government Standing Counsel with effect from 5-5-1992.

9. This question does not survice for consideration after 29-6-1992 when Smt. Natarajan retired as a member of the Council of States on the expiration of her term of office on that date. As mentioned above, the present reference was received in the Commission's Secretariat on the 30 June, 1992 by which time Smt. Natarajan had already retired on 29-6-1992 and the reference was thus infructuous. In the past also, certain reference were made to the Commission for its opinion on the question of alleged disqualification of certain members of State Legislatures where the House concerned to which the member belonged stood already dissolved before the making of the reference to the Commission or the House was subsequently dissolved after the making of the reference. The Commission took the view in such cases that with the dissolution of the House concerned the reference became otiose and infructuous. [See in this connection the Commission's opinion dated 17-6-1971 in re : Ramjibhai Chaudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354); opinion dated 10-1-1972 in re : Shri Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (5) ELR 360); opinion dated 2-7-1980. in re : Shri Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly; opinion dated 27-10-1990 in re : Shri Mahadeo Kashiraya Patil, member of Maharashtra Legislative Assembly, etc.]

10. In the present case, the House concerned, i.e., Council of States, continues as it is not subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of its members retire on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law. A member of the Council of States retiring on the expiration of his/her term of office stands on the same footing as a member of the House of the People or a State Legislative Assembly which is dissolved, in so far as the question of his/her disqualification after he/she has ceased to be a member is concerned.

11. In this view of the matter, it is not necessary to go into the question of the alleged disqualification of Smt. Natarajan for the period from 5-5-1992 to 29-6-1992 after she retired from the Council of States on the expiration of her term of office on 29-6-1992.

12. The reference received from the President is returned with my opinion to the aforesaid effect.

T. N. SESHAN, Chief Election Commissioner of India

Dated the 12th July, 1992.

[F. No. 7(33)/92-Leg II]

B. S. SALUJA, Jt. Secy. and Legislative Counsel.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992